न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल, जिला बारां (राज०)

बइजलास अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :–15 / 2023 / प्रार्थना पत्र / बउनवान / अमरलालबनाम अशोक कुमार

जीसीएमएस संख्या 2023 / 49

1. अमरलाल पुत्र श्री कन्हैयालाल उर्फ कान्यां जाति बैरवा
2. भूली बाई पुत्री श्री कन्हैयालाल उर्फ कान्हां जाति बैरवा
3. केशर बाई पुत्री श्री कन्हैयालाल उर्फ कान्हां जाति बैरवा
4. नैनकी बाई पुत्री श्री कन्हैयालाल उर्फ कान्हा जाति बैरवानिवासीगण ग्राम सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारा राज०

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. अशोक कुमार पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति ब्राहम्ण
2. मनोज कुमार पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति ब्राहम्ण
3. राहुल कुमार पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति ब्राहम्ण निवासीगण झालरापाटन तह० झालरापाटन जिला झालावाड राज०
4. श्रीमती श्रद्धा तिवारी पत्नि श्री अरुण गौतम जाति ब्राहम्ण निवासी डी.सी.एम. उद्योगपुरी कोटा तह० लाडपुरा जिला कोटा राज०
5. रमेश पुत्र श्री बाबूलाल जाति बैरवा
6. सुरेश पुत्र श्री बाबूलाल जाति बैरवा
7. जगन्नाथ श्री माधोलाल जाति बैरवा
8. सुनील पुत्र श्री छोटूलाल जाति बैरवा
9. रेवडीलाल पुत्र श्री रामलाल जाति बैरवा
10. कुन्जबिहारी पुत्र श्री रामलाल जाति बैरवा
11. ओम पुत्र श्री किशोर जाति बैरवा
12. रामस्वरूप पुत्र श्री किशोर जाति बैरवा
13. दिनेश पुत्र श्री कान्हॉ जाति बैरवा
14. सोनू पुत्र श्री रामेश्वर जाति बैरवा
15. राकेश पुत्र श्री रामेश्वर जाति बैरवा
16. सत्यनारायण पुत्र श्री किशनलाल जाति बैरवा निवासीगण ग्राम सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारा राज०
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मांगरोल जिला बारा राज०

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0टी0एक्ट

वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा

वकील वादी : श्री हरिओम यादव

दायरा दिनांक: 02.02.2023

निर्णय दिनांक : 04.03.2025

निर्णय

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :–

Scanned by CamScanner

1. यह कि वाके ग्राम सीसवाली तहसील मांगरोल में वर्तमान जमाबन्दी सवंत 2073 से 2076 अनुसार आराजी खाता सं0नया 704 पुराना 973 में खसरा नं0. 1185 रकबा 0.80 हेक्टर, कुल किता 1 कुल रकबा 0.80 हैक्टर स्थित है। उक्त आराजी वर्तमान राजस्व रेकार्ड में आप्रर्थी क्रम 4 के नाम खातेदारी में दर्ज है जिसे आगे वाद पत्र में विवादित आराजियात के नाम से सम्बोधित किया जा रहा है।
2. यह कि उक्त वर्णित विवादग्रस्त आराजी पर प्रथम अपने पूर्वजों के समय से बदस्तूर काबिज काश्त चले आ रहे हैं तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण क्रम 5 ता 16 के पूर्वजों के मध्य बाहमी बंटवारे अनुरूप वर्तमान में विवादित आराजी पर प्रार्थीगण काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं एवं विवादित आराजी पर मकान बने हुये हैं तथा प्रार्थीगण विवादित आराजी पर ही मकान बनाकर निवासरत हैं।
3. यह कि उक्त विवादीत आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण क्रम 5 ता 16 के पूर्वजों के खातेदारी में दर्ज थी एवं उपरोक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नं0. 1185 रकबा 0.80 हेक्टर का हाल सैटलमेन्ट (1 अप्रैल 87 से 31 मार्च 2007) सवंत् 2044 से 2062 के अनुसार साबिक खसरा नं0. 555 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा था एवं गत बन्दोबस्त संवत् 2014 से 2023 के अनुसार उक्त खसस नं0. 555 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा का साबिक खसरा नं0. 263 व 264 था जो मिलान क्षेत्रफल से प्रमाणित है। उक्त आराजियात जमाबन्दी संवत् 1998 से 2001 अनुसार खसरा नं0. 3358/263–264 (पथरिया का बीडा) रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा अप्रार्थीगण क्रम 5 ता 16 के पूर्वज शंकर बेटा सुखा एवं प्रार्थीगण के पिता कान्या बेटा ग्यारस्या कौम चमार बॉस गाँव के नाम बतौर खतेदार कृषक दर्ज था एवं इसी प्रकार उक्त आराजियात जमाबन्दी संवत् 2006 से 2009 अनुसार खसरा नं0 4065/263–264 (पथरिया का बीडा) रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा प्रतिवादीगण क्रम 5 ता 16 के पूर्वज शकर बेटा सुखा एवं प्रार्थीगण के पिता कान्या बेटा ग्यारस्या कौम चमार बॉस गाँव के नाम बतौर खातेदार कृषक दर्ज था।
4. यह कि कन्हैयालाल उर्फ कान्या प्रार्थीगण के पिता हैं जो विवादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त करते चले आ रहे थे एवं उनकी मृत्यु के बाद प्रार्थीगण उक्त विवादग्रस्त आराजी पर काबिज काशत होकर प्रत्येक वर्ष फसल बोते व काटते चले आ रहे हैं, परन्तु दौराने सैटलमेन्ट मत बन्दोबस्त संवत् 2014 से 2023 में प्रतिवादी क्रम 17 के कर्मचारियों व अधिकारियों ने त्रुटिवश खसरा नं0. 263 व 264को खसरा नं0. 555 में तब्दील करते समय विवादग्रस्त आराजी को केदारलाल पुत्र जगन्नाथ जाति ब्राहमण निवासी सीसवाली के नाम खातेदारी में इन्द्राज का दिया जबकि राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत् 1998 से 2001 व जमांबन्दी सवत् 2006 में 2009 के अनुसार उक्त विवादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण क्रम 5 ता 16 के पूर्वक शंकर बेटा सुखा एवं प्रार्थीगण के पिता श्री कन्हैयालाल उर्फ कान्या के नाम दर्ज होने व काबिज काश्त होने से प्रार्थीगण के पिता के नाम दर्ज होनी चाहिये थी इस प्रकार अप्रार्थी क्रम 17 व उसके अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा की गई उक्त त्रुटि संशोधित होने योग्य है तथा प्रार्थीगण उक्त त्रुटि को संशोधित करवा कर विवादित आराजियात को अपनी खातेदारी में दर्ज करवा पाने के अधिकारी व नालिशी हैं।
5. यह कि अप्रार्थी क्रम 17 व उसके अधीनस्थों के त्रुटिवश गलत तौर पर विवादित आराजी केदारलाल पुत्र जगन्नाथ जांति ब्राह्मण निवासी सीसवाली के नाम खातेदारी में इन्द्राज होने के बाद उक्त विवादग्रस्त आराजी श्री केदारलाल की मृत्यु पर शान्ति बाई बेवा केदारलाल व अनार बाई पुत्री केदारलाल के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की गई है

Scanned by CamScanner

तथा शान्ति बाई बेवा केदारलाल व अनार बाई पुत्री केदारलाल के देहावसान पश्चात् नामान्तकरण सं0. 2314 दिनांक 05.01.2016 से विवादग्रस्त आराजी अप्रार्थीगण क्रम 1 ता 3 व संतोष पुत्री श्री कन्हैयालाल के नाम राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हुई है एवं संतोष पुत्री श्री कन्हैयालाल ने जरिये हकत्याग अपना हिस्सा अप्रार्थीगण क्रम 1 ता 3 के पक्ष में त्याग देने पर जरिये नामान्तरकरण नं0. 2487 दिनांक 05.07.2021 संतोष पुत्री श्री कन्हैयालाल का विवादीत आराजी में हक व हिस्सा अप्रार्थीगण क्रम 1 ता 3 को प्राप्त हुआ है, अप्रार्थीगण क्रम 1 ता 3 ने जानबूझकर यह जानते हुये कि प्रार्थीगण विवादित आराजी पर मौके पर काबिज काश्त चले आ रहें हैं, विवादग्रस्त आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 09.04.2021 को प्रतिवादी क्रम 4 को बेचान कर दिया जो विधि विरूद्ध होने से विरूद्ध प्रार्थीगण प्रारम्भतः प्रभाव शून्य हैं एवं उपरोक्त बेचान दिनांक 09.04.2022 के आधार पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज नामान्तकरण नं0. 3097 दिनांक 02.06.2021 खिलाफ कानून होने से निरस्तनीय हैं एवं प्रार्थीगण नामान्तकरण नं0. 3097 दिनांक 02.06.2021 ग्राम सीसवाली व विवादग्रस्त आराजी पर सैटलमेन्ट सवत् 2014 से 2023 के पश्चात् खोले गये समस्त नामान्तकरणों व राजस्व प्रविष्ठियों को निरस्त करवा कर विवादग्रस्त आराजी को अपनी खातेदारी में दर्ज करवा पाने की घोषणा करवा पाने के अधिकारी व नालिशी है।

6. यह कि उक्त वर्णित विवादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण अपने पूर्वजों के समय से बदस्तूर निर्बाध रूप से काबिज काश्त करते चले जा रहे हैं तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण क्रम 5 ता 16 के पूर्वजों के मध्य बाहमी बंटवारे अनुरूप वर्तमान में विवादित आराजी पर प्रार्थीगण काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं एवं प्रतिवर्ष फसल बोते एवं काटते चले आ रहे हैं तथा वर्तमान में भी प्रार्थीगण मौके पर काबिज है, परन्तु राजस्व रेकार्ड में अप्रार्थी क्रम 17 व उसके अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा की गई त्रुटि एवं राजस्व रेकार्ड जंमाबदी में अप्रार्थी क्रम 4 का नाम होने का फायदा उठाकर अप्राथीगण क्रम 1, 2, 3, 4 उक्त विवादित आराजियात पर जबरन कब्जा करने को उतारू है। इस हेतु दिनांक 09.06.2022 को अप्रार्थीगण क्रम 1 ता 4 अपने साथ ट्रैक्टर मय बखर लेकर विवादित आराजी पर आ धमके और आते ही प्रार्थीगण को जाति सूचक शब्दों से अपमानित कर गालियां निकालने लगे कि चमारियों यह जमीन हमारे खातेदारी में हैं हम लोग इस पर खेती करेंगे और ट्रैक्टर से विवादित आराजी को हंकवाने लगे जिससे प्राथीगण ने बामुश्किल उन्हें रोका और समझाया प्रार्थीगण में अप्रार्थीगण क्रम 1 ता 4 को निवेदन किया की इस आराजी पर हम हमारे पूर्वजों के समय से खेती करते चले आ रहे हैं आपको गलतफहमी हुई हैं, जिस पर अप्रार्थीगण क्रम 1 ता 4 लड़ाई–झगडे पर उतारू हो गये और प्रार्थीगण के समझाने पर बामुश्किल माने और मौके से जाते–जाते धमकी देकर चले गये आज नहीं तो कल इस लोग ताकत के बल पर पुलिस से साठं–गाठ कर तुम्हें इस आराजी से बेदखल करके रहेगें । इस पर प्रार्थीगण ने अविलम्ब राजस्व रेकार्ड से विवादित आराजी की नकलें प्राप्त की तब प्रथम बार जानकारी में आया कि अप्रार्थी क्रम 17 व उसके अधीनस्थ कर्मचारियों की त्रुटि के कारण दौराने सैटलमेन्ट सवत् 2014 से 2023 में विवादीत आराजी अप्रार्थीगण क्रम 1 ता 4 के पूर्वज केदारलाल पुत्र जगन्नाथ की खातेदारी में दर्ज हो गई हैं जिसका फायदा उठाकर अप्रार्थीगण 1 ता 4 प्रार्थीगण को विवादित आराजी से बेकब्जा करने पर तुले हुये हैं जिसका अप्रार्थीगण क्रम 1 ता 4 को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है।

Scanned by CamScanner

7. यह कि दिनाक 16.10.2022 को अप्रार्थीगण क्रम 1 ता 4 अपने साथ ट्रैक्टर मय बखर लेकर विवादित आराजी पर आ धमके और आते ही प्रार्थीगण को जाति सूचक शब्दों से अपमानित कर गालियां निकालने लगें कि चमारियों हमने तुमसे पहले ही कहा था कि यह जमीन हमारे खातेदारी में हैं तथा बरसात के बाद हम लोग इस पर खेती करेंगे तुमने खेत पर आने की जुर्रत कैसे की और ट्रैक्टर से विवादित आराजी को हकंवाने लगे जिसे प्रार्थीगण ने बामुश्किल रोका और समझाया कि उक्त आराजी उनके पूर्वजों की हैं और राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलती से तुम्हारे नाम खातेदारी में दर्ज हो गयी है और राजस्व नकलें बतायी तो अप्रार्थीगण क्रम 1 ता 4 आवेश में आ गये और प्रार्थीगण को माँ बहिन की पोश–पोश गालियां देकर मारने–पीटने पर आमादा हुये जिस पर आस–पास के लोगों द्वारा समझाने पर अप्रार्थीगण क्रम 1 ता 4 बामुश्किल माने और मौके से जाते–जाते धमकी देकर गये हैं कि आज नहीं तो कल हम लोग ताकत के बल पर तुम्हें इस आराजी से बेदखल करके रहेगें और ऐलानियां धमकी दी की जो कोई भी हमारे आढे फिरेगा उसे जान से मार देगें तथा विवादित आराजी को रहन बय कर खुर्द–बुर्द करके रहेगें तथा अप्रार्थीगण क्रम 1 ता 4 वर्तमान में भी ग्राम सीसवाली में ऐलानियां धमकी देते घूम रहे हैं कि ताकतव पैसों के बल पर वह प्रार्थीगण की विवादित आराजी से बेदखल करके रहेगें, जिसका अप्रार्थीगण क्रम 1 ता 4 को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। अस्तु प्रार्थीगण विरुद्ध अप्रार्थीगण के विरुद्ध अविलम्ब अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवा पाने के अधिकारी एवं नालिशी है।

8. यह कि यदि अप्रार्थीगण अपने उद्देश्य में कामयाब हो गया तो प्रार्थी को अपार क्षति होगी। जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी रूप में संभव नहीं हो सकेगी तथा प्रार्थी को अनन्य मुकदमे बाजी में उलझना पडेगा।

9. यह कि प्रार्थी का मुकदमा प्रथम दृष्टया सिद्ध है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के ही पक्ष में है।

10. यह कि अन्य कारण वक्त बहस मौखिक श्रीमान के समक्ष निवेदन किये जावेगे।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला वाद अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि अप्रार्थीगण, विवादित भूमियां वर्णित मद नं 1 प्रार्थना पत्र को रहन, बेचान व अन्य प्रकार से मुन्तकिल व खुर्द–बुर्द नहीं करे तथा प्रार्थी को शांति पूर्वक काबिज काश्त बना रहने देवे तथा उनके कब्जे काश्त में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे ऐसा न तो स्वयं करे ना ही अपने प्रतिनिधियों से करावें तथा अप्रार्थी क्रम 17 ताफैसला विवादित अराजियात मद् नं0. 1 प्रार्थना पत्र के रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाये रखें ।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 02.02.2023 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन् तलब किया गया। अप्रार्थी कम 1 ता 16 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहसवकील एकपक्षीय सुनी गयी। प्रस्तुत पत्रावली में शामिल राजस्व रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। सम्पूर्ण पत्रावली का अध्ययन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र का निर्धारित करने के लिए न्यायालय को निम्न बिन्दुओं को देखना होता है।

01. प्रथम दृष्टया मामला 02. अपूर्णनीय क्षति 03. सुविधा का संतुलन

Scanned by CamScanner

1. **प्रथम दृष्टया मामला** : प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा वाके ग्राम सीसवाली तहसील मांगरोल आराजी खाता सं0 704 खसरा नं0. 1185 रकबा 0.80 हेक्टर को रहन–बेचान एवं कब्जे काश्त में मदालखत न करने हेतु अप्रार्थी क्रम 1 ता 16 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा चाही हैं। वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि उक्त आराजी अप्रार्थी क्रम 4 के नाम खातेदारी में दर्ज है। उक्त विवादित आराजी पूर्व में प्रार्थीगण व अप्रार्थी क्रम 5 ता 16 के खातेदारी में दर्ज थी दौराने सैटलमेन्ट गत बन्दोबस्त संवत् 2014 से 2023 में प्रतिवादी क्रम 17 के कर्मचारियों व अधिकारियों ने त्रुटिवश खसरा नं0. 263 व 264 को खसरा नं0. 555 में तब्दील करते समय विवादग्रस्त आराजी को केदारलाल पुत्र जगन्नाथ जाति ब्राहमण निवासी सीसवाली के नाम खातेदारी में इन्द्राज का दिया जबकि राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत् 1998 से 2001 व जमांबन्दी सवत् 2006 में 2009 के अनुसार उक्त विवादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण क्रम 5 ता 16 के पूर्व शंकर बेटा सुखा एवं प्रार्थीगण के पिता श्री कन्हैयालाल उर्फ कान्या के नाम दर्ज होने व काबिज काश्त होने से प्रार्थीगण के पिता के नाम दर्ज होनी चाहिये थी। चूंकि उक्त विवादित आराजी पुश्तैनी है यदि अप्रार्थी क्रम 4 द्वारा विवादित आराजी का रहन–बेचान किया जाता है या अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी की जाती है तो अनावश्यक वादकरण बढ़ेगा। प्रार्थीगण के विवादित आरजी में हक अधिकार की घोषणा मूल वाद में तय होगी। अनावश्यक वादकरण को रोकने को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।
2. **अपूरणीय क्षति** : यदि अप्रार्थी क्रम 4 द्वारा विवादित आराजी का रहन–बेचान या किसी प्रकार से हस्तान्तरण किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपने हक अधिकारों से वंचित होना पडेगा। ऐसी स्थिति में अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।
3. **सुविधा का संतुलन** : चूंकि प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं अपूरणीय क्षति का बिंदु प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

अतः प्रार्थना पत्र,बहस वकील एकपक्षीय, संलग्न दस्तावेजों एवं राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी कम 1 ता 17 के विरूद्ध ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि ग्राम सीसवाली तहसील मांगरोल आराजी खाता सं0 704 खसरा नं0. 1185 रकबा 0.80 हेक्टर आराजी को रहन–बेचान न करें। मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील शामिल मूल वाद हो।

निर्णय आज दिनांक 04.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Scanned by CamScanner